



# अपने अधिकारों में कटौती

बिल पर सदन में हुई बहस में भी जो दो मुद्दे प्रमुखता से उठे वे थे- जाति आधारित जनगणना और आरक्षण पर लगी अधिकतम 50 फीसदी की सीमा को समाप्त करने की जरूरत। दोनों ही

मसलों पर सरकार का सकारात्मक रुख रहा।

नीति मोहन।।

लोकसभा ने ओबीसी लिस्ट बनाने के राज्यों के अधिकार से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को जिस तरह से पारित किया, वह काफी कुछ कहता है। पूरे मॉनसून सत्र के दौरान देखा गया विपक्ष का हंगामा, शोर-शराबा और विरोध कुछ समय के लिए थम गया। इस बिल की खातिर विपक्ष ने अपना विरोध स्थगित कर दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष की असाधारण एकजुटता के बीच यह संशोधन विधेयक 385 बनाम शून्य मतों से पारित हो गया। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाना है और पूरी संभावना है कि वहां भी यह ऐसी ही आसानी से पारित हो जाएगा। इस बिल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को दिए

अपने एक फैसले में कहा कि 102वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों की अपनी सूची तैयार करने का अधिकार नहीं है। यानी राज्य सरकारें अपने स्तर पर किसी खास समुदाय को आरक्षण के दायरे में नहीं ला सकतीं। यह अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। स्वाभाविक रूप से राज्य सरकारों ने इसे अपने अधिकारों में कटौती के रूप में लिया और विपक्षी दल केंद्र पर निशाना साधने लगे। मगर इस संशोधन विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो रजामंदी दिख रही है उसके पीछे संविधान के संघात्मक ढांचे के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपों से ज्यादा ओबीसी समुदायों के मजबूत वोट



बैंक की भूमिका है। कोई भी पार्टी इस वोट बैंक को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यह संदेश नहीं जाने देना चाहती कि वह उसके हितों की चिंता करने के मामले में औरों से पीछे है। यही वजह है कि केंद्र सरकार फटाफट बिल ले आई और विपक्ष ने भी पेगासस से लेकर कृषि कानूनों तक पर चल रही अपनी आरपार की लड़ाई को कुछ समय के लिए भुला देने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। बिल पर सदन में हुई बहस में भी जो दो मुद्दे प्रमुखता से उठे वे थे- जाति आधारित जनगणना और आरक्षण पर लगी अधिकतम 50 फीसदी की सीमा को समाप्त करने की जरूरत। दोनों ही मसलों पर

सरकार का सकारात्मक रुख रहा। 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण के संबंध में हालांकि उसने कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए सावधानी की जरूरत बताई, लेकिन यह कहना नहीं भूली कि वह इस मसले पर सांसदों की भावना समझती है। जातिवार जनगणना को लेकर भी संकेत हैं कि 2021 में नियमित जनगणना का काम पूरा होने के बाद इसका काम शुरू करवाया जा सकता है। संसदीय राजनीति के सभी धड़ों में ऐसी व्यापक सहमति बताती है कि बहुत संभव है, हम जल्दी ही एक बार फिर देश में आरक्षण को सभी रोगों की दवा बताने वाली राजनीति हावी होते देखें। एक समाज के रूप में इस दौर का भी सर्वश्रेष्ठ हमें मिले, इसके लिए राजनीति को थोड़ा और क्रिएटिव, थोड़ा और कल्पनाशील बनना होगा।

## मानव जीवन

अशोक वोहरा।  
वस्तुतः भक्ति मानव के कल्याण का सूत्र है जिसे पकड़ लेने से सीधे भगवद् प्राप्ति ही होती है। शास्त्र, संत और उनके द्वारा रचित सद्ग्रंथ मानव जीवन की दिशा बदल देते हैं। भव बंधन से मुक्ति का बोध संतों के उपदेश से संभव है। तत्वज्ञ संत संयम के प्रत्येक प्राणी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनकी वाणी साधारण से साधारण और विशिष्ट से अति विशिष्ट व्यक्ति को बड़े सहज भाव से भक्ति मार्ग में प्रवृत्त करने वाली होती है। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में इस बात का उल्लेख है कि भक्ति स्वयं फल स्वरूप है। प्रेम रूपा भक्ति से जब जीवन थिरकने लगता है तो उसे ही परमानन्दवस्था कहते हैं। ऐसी स्थिति में मस्ती की वाणी ही संगीत बन जाता है तो मस्ती की चाल नृत्य बन जाती है। इस अवस्था में अवलोक करने वहां स्वयं ईष्ट चलकर आ जाता है।

## धर्म-दर्शन



## संपादकीय

### समुदायों की हिस्सेदारी

मुसलमानों की बात करें तो भारत आने वालों से कहीं ज्यादा संख्या उन लोगों की है, जो यहां से विदेश गए। भारत की आबादी में मुसलमानों का हिस्सा लगभग 14 फीसदी है, लेकिन भारत से बाहर जाने वालों में इनका हिस्सा 27 फीसदी है। वहीं, कुल आबादी में हिंदू हैं 79 फीसदी, लेकिन विदेश जाने वालों में इनका हिस्सा महज 45 फीसदी है। आबादी में तमाम समुदायों की हिस्सेदारी में जो बदलाव आ रहा है, उसका एक और कारण माइग्रेशन है। भारत से बाहर जाने वालों की तादाद विदेश से यहां आने वालों के मुकाबले तीन गुनी है। भारत में जनमे लगभग डेढ़ करोड़ लोग 2015 में विदेश में रह रहे थे। वहीं, विदेश में जनमे, लेकिन भारत में रह रहे लोगों की तादाद थी केवल 56 लाख। इनमें से सबसे ज्यादा 32 लाख लोग आए थे बांग्लादेश से। पाकिस्तान से 11 लाख, नेपाल से पांच लाख 40 हजार और श्रीलंका से एक लाख 60 हजार लोग आए। इनमें तमाम हिंदू हैं। यह सारी जानकारी जो मैंने आपके सामने रखी, उससे कैसी तस्वीर बन रही है? मुसलमानों की संख्या और बाहर से आने वालों के बारे में बीजेपी चाहे जितना हल्ला मचाए, उसके आरोपों में कोई दम नहीं है। फिजूल का खतरा दिखाकर हिंदुओं को डराने की कोशिश की जाती है ताकि उनके वोट मिल सकें।

कहा जाता है कि अभी तो हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही तो हिंदुओं का यह दर्जा खतरे में आ जाएगा। दूसरा मुद्दा है बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों का।

# आबादी में घटता हिस्सा

स्वामिनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर।।

हाल के वर्षों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है और इसमें दो मुद्दों पर बीजेपी के जोर देने का बड़ा हाथ रहा। एक मुद्दा है मुसलमानों के ज्यादा बच्चे होने के आरोप का। इसमें कहा जाता है कि अभी तो हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही तो हिंदुओं का यह दर्जा खतरे में आ जाएगा। दूसरा मुद्दा है बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों का। इन दोनों मुद्दों को हाल में बड़ा झटका लगा। भारत के ही आंकड़ों की एनालिसिस ने इन आरोपों की जमीन हिला दी। यह एनालिसिस की अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर ने।

इसमें कोई शक नहीं है कि आजादी के बाद से हर जनगणना में आबादी में मुसलमानों का हिस्सा बढ़ा है। 1951 में मुसलमान करीब 10 फीसदी थे और 2011 में 14.25 फीसदी हो गए। वहीं, हिंदुओं का हिस्सा इसी दौरान लगभग 84 फीसदी से घटकर 79 फीसदी पर आ गया। छह दशकों के दौरान आबादी में मुसलमानों का हिस्सा करीब साढ़े चार फीसदी बढ़ा। ऐसा अचानक नहीं हुआ। यह बढ़ोतरी धीरे-धीरे हुई। लेकिन अगर यही ट्रेंड बना रहा तो भी इस सदी के अंत तक आबादी में मुसलमानों का हिस्सा 20 फीसदी से ज्यादा नहीं होगा बल्कि बढ़ोतरी कम ही रहेगी क्योंकि मुसलमानों और हिंदुओं के



बच्चे होने की दर में जो अंतर है, वह तेजी से घट रहा है। हो सकता है कि दोनों का रेट जल्द एक जैसा हो जाए।

1992 से 2015 तक के लिए जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया गया, वह फर्टिलिटी से जुड़े आंकड़ों का सबसे भरोसेमंद जरिया है। इस दौरान मुसलमानों में फर्टिलिटी रेट 4.4 से घटकर 2.6 पर आ गया। फर्टिलिटी रेट का मतलब यह है कि एक महिला औसतन कितने बच्चों को जन्म दे रही है। हिंदुओं के मामले में फर्टिलिटी रेट 3.3 से घटकर 2.1 पर आ गया, लेकिन इसके घटने की रफ्तार मुसलमानों के मुकाबले कम रही। इससे साफ है कि मुसलमानों ने फैमिली प्लानिंग को भले ही दर से अपनाया हो, लेकिन अब इस पर अमल करने में वे हिंदुओं से आगे हैं। एक वक्त था, जब ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले बच्चों में से आधे बचपन में ही मर जाते थे। ऐसे में मां-बाप इसलिए भी ज्यादा बच्चे होने पर जोर देते थे कि जो बचेंगे, उनके बुढ़ापे में सहारा बनेंगे। लेकिन आमदनी बढ़ने के साथ मां-बाप को यह

समझ में आने लगता है कि जो कुछ उनके पास है, उसे वे कुछ बच्चों को बेहतर बनाने में लगाएं ताकि उनकी जिंदगी अच्छी रहे। इसी वजह से आमदनी बढ़ने के साथ फर्टिलिटी रेट में गिरावट देखी जाती है। दुनियाभर में ऐसा ही होता है। भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के फर्टिलिटी रेट में दिख रही कमी कोई नई बात नहीं है। मुसलमानों की माली हालत चूक कमजोर है, लिहाजा 2.1 के फर्टिलिटी रेट तक पहुंचने में उन्हें ज्यादा समय लगेगा। फर्टिलिटी रेट 2.1 होने का मतलब यह है कि हर महिला के औसतन दो बच्चे ही होंगे। इस तरह वे आबादी में आगे चलकर अपने मां-बाप की जगह लेंगे और जनसंख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। भारत में मुसलमानों के मुकाबले हिंदुओं की आबादी बढ़ने की रफ्तार कम होने की कुछ ऐतिहासिक वजहें भी हैं। इनमें सबसे अहम कारण यह है कि हिंदू परंपरा में विधवा विवाह की मनाही थी। वहीं, मुस्लिमों में जल्द दोबारा शादी करने को बढ़ावा दिया जाता था। पहले के दशकों में पुरुषों की मृत्यु दर आज के मुकाबले ज्यादा थी। ऐसे में काफी महिलाएं जवानी में विधवा हो जाती थीं। कामकाज के लिए घर छोड़कर परदेस जाने का भी आबादी से नाता रहा। यानी कुल-मिलाकर बात यह है कि चाहे जो कहा जा रहा हो, भारत में हिंदुओं की विशाल संख्या को कोई खतरा नहीं है।

### अभ्युद्योग-5026

3	6	4	7	5
1	25	3	31	5
		7		4
7	37	6	40	2
		5		1
5	33	37	6	29
4	1	3	2	

अभ्युद्योग 5025 का हल

6	3	1	5	2	7	4
2	29	4	29	6	29	1
7	4	2	6	3	1	5
3	31	6	38	7	30	2
1	5	3	7	4	2	6
4	32	5	36	5	34	7
5	2	7	4	1	6	3

### अपना ब्लॉग

आदमखोर ने बच्चों तक को नहीं बखशा

मोहन। सत्ता के नशे में मदहोश एक निर्मम आदमखोर ने बच्चों तक को नहीं बखशा। इन यंत्रणा घरों को तब की दशा में जिस का तस बनाए रखने का जिम्मा वहां की सरकार स्वयं उठा रही है। ये स्थान मनुष्य की आने वाली पीढ़ियों को सत्तासुरों के खिलाफ आज भी स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। सवाल उठता है कि हम मानवता की सरल और सहज तथा निष्कपट भावनाओं की उर्वर विचारभूमि के प्रतीकों को यथावत बनाए रखने के लिए संकल्पबद्ध क्यों नहीं हैं? गांधी और इनकी विचारधारा को जानने-समझने के लिए आश्रम आने वाले अतिथि उस तरह के वातावरण के अभाव में कैसा अनुभव करेंगे और उनके मन पर कैसी छवियां अंकित होंगी? हम को याद रखना चाहिए कि गांधी ने आडंबर विहीन जीवन अपनाकर इंसान की गरिमा स्थापित करने का उद्यम किया था। गांधी ने इसके लिए स्वयं त्याग और बलिदान का रास्ता चुना था। अहमदाबाद से मिल रहे समाचार बताते हैं कि साबरमती आश्रम को भव्य और अत्याधुनिक रूप प्रदान करने की योजना पर काम चल रहा है। वहां अब सैलानियों को मनोरंजन के समृद्ध साधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

